

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2019-फाल्गुन 17, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित

(अंतर्गत धारा-41 वक्फ अधिनियम, 1995)

क्र.37/आर-शिवपुरी/2018.—वक्फ मजार दीन मोहम्मद साहब बीज भण्डार के पास नगर करैरा, जिला शिवपुरी में श्री हफीज खाँ, रिटायर्ड आर. आई. औकाफ आम्मा, भोपाल द्वारा उक्त वक्फ मजार में कब्र कस्बा करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी के इन्द्राज हेतु वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-41 के अन्तर्गत शपथ-पत्र/आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त वक्फ से संबंधित आवेदन साक्ष्य व शासकीय अभिलेखों से प्रमाणित है कि निम्न सम्पत्ति पूर्व से ही वक्फ घोषित है।

अतः उक्त वक्फ मजार में कब्र कस्बा करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी का इन्द्राज/इजाफा धारा-41 के अंतर्गत वक्फ पंजीयन रजिस्ट्रर, जिला शिवपुरी के क्रमांक 171 सर्वे 149 में दर्ज किया गया।

वक्फ सम्पत्ति का विवरण

नाम वक्फ	संपत्ति जिसकी प्रविष्टि वक्फ पंजी में की गई है।
कब्र कस्बा करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी।	खसरा नंबर 2129 रकबा 0.031 हैक्टेयर कस्बा करैरा, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी, चतुर्थ सीमायें:- पूर्व में खसरा नम्बर 2039, पश्चिम में-खसरा नम्बर 2130, उत्तर में-खसरा नम्बर 2130, दक्षिण में -खसरा नम्बर 2128।

अतः सर्वसंबंधित को सूचित किया जावे।

(987-बी.)

यूनुस खान,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

मुख्य अभियन्ता(योजना एवं रूपांकन)

क्र.-04-02/195/यो.रूपा./375—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित)

की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमैट ट्रांसमिशन लाइसेंसी) द्वारा विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेंद्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेंद्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्थापित करने के उद्देश्य से 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना/विस्थापन के कार्य पारेषण परियोजनाओं अथवा उपभोक्ता सहभागिता कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

(1) **नाम :** ये परियोजनायें 400, 220 एवं 132 किलोवोल्ट (के.व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।

(2) **परियोजनाओं का विवरण :** परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 400 के.व्ही. के कार्य :-

अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना:-

1. 400 के.व्ही. उपकेंद्र पीथमपुर में 315 एमवीए क्षमता के 1 नंबर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1700 लाख रु.

(II) 132 के.व्ही. के कार्य :-

(i) पारेषण लाईनें :-

1. जीरापुर से माचलपुर तक 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-लगभग 20 कि.मी. अनुमानित लागत-1309.00 लाख रु.

2. जबलपुर (नयागाँव) 220 के.व्ही.-व्ही.एफ.जे. (जबलपुर) 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन के एक सर्किट को 132 के.व्ही. जीआईएस उपकेंद्र विजयनगर में लीलो कार्य, लंबाई- लगभग 01 कि.मी. अनुमानित लागत-100.00 लाख रु. (पूर्व प्रकाशित लाईन के कार्यों का संशोधन)

3. जबलपुर (नयागाँव) 220 के.व्ही.-पनागर 132 के.व्ही. लाईन का 132 के.व्ही. उपकेंद्र व्हीएफजे (जबलपुर) में लीलो हेतु 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का जबलपुर शहर के वाहन निर्माणी फैक्ट्री परिसर, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर सुहागी तथा जबलपुर जिले के पनागर तहसील के अंतर्गत पिपरिया, इमलिया, केवलारी, कंदराखेड़ा, चाटी, उरदुआखुर्द, खजरी, बघेली, सरसवाहा इत्यादि ग्रामों से गुजरेगी लंबाई-लगभग 2x18 कि.मी. अनुमानित लागत-1600.00 लाख रु.

(ii) नये उपकेंद्र की स्थापना :-

1. माचलपुर (जिला-राजगढ़) में 50 एमवीए 132/33 के.व्ही. क्षमता के नये उपकेंद्र की स्थापना, अनुमानित लागत-1421.56 लाख रु.

(iii) 132 के.व्ही. फीडर बे निर्माण कार्य :-

जीरापुर 01 नंबर फीडर बे, अनुमानित लागत-133.52 लाख रु.

(III) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा-6-लेन देवास बायपास रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर- देवास लाईन के लोके. क्रमांक 114 से 125 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2x3.8 कि.मी., अनुमानित लागत-277.53 लाख रु.

2. गोदिया-नैनपुर-जबलपुर रेलवे खंड में विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र लालबरा से रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन जबलपुर द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र समनापुर जिला-बालाघाट को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण लंबाई लगभग 1x20.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1209.00 लाख रु.

(पूर्व प्रकाशन का संशोधन- पूर्व में 132 के.व्ही. उपकेंद्र हट्टा रोड से कर्षण विद्युत उपकेन्द्र बालाघाट हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर लाईन का प्रकाशन.

3. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ से पश्चिम मध्य रेलवे के विजयपुर-मकसी खंड में प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र व्यावरा जिला राजगढ़ को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर डीसीडीएस लाईन का निर्माण लंबाई 2x22 कि.मी., अनुमानित लागत-1296.00 लाख रु.

4. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र शिवपुरी से रेल विकास निगम लिमि. द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र शिवपुरी जिला-शिवपुरी को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर डीसीएसएस लाईन का निर्माण जिसमें 220 के.व्ही गुना-शिवपुरी लाईन एवं 22 के.व्ही. शिवपुरी-सबलगढ़ लाईन का संशोधन/विस्थापन कार्य भी सम्मिलित है। लंबाई लगभग 1×8.0 कि.मी., अनुमानित लागत-682.00 लाख रु.

5. रतलाम-फतेहाबाद-लक्ष्मीनगर रेल्वे खंड में विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र गौतमपुरा से रेल्वे इलेक्ट्रीफिकेशन कोटा द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र फतेहाबाद जिला-उज्जैन को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण लंबाई 1×16.0 कि.मी., अनुमानित लागत-916.00 लाख रु.

6. जल संसाधन विभाग खरगौन द्वारा रोसिया जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस बड़वाह-छैगाँव लाईन के लोके. क्र. 126 से 135 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2×3.2 कि.मी., अनुमानित लागत-221.15 लाख रु.

7. जल संसाधन विभाग खरगौन द्वारा रोसिया जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस ओंकारेश्वर-खंडवा लाईन के लोके. क्र. 122 से 134 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2×3.9 कि.मी., अनुमानित लागत-291.70 लाख रु.

8. पश्चिम मध्य रेल्वे भोपाल द्वारा इटारसी-होशंगाबाद रेल खंड में नार्थ-साउथ ग्रेट सेपरेटर के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. इटारसी-होशंगाबाद लाईन के लोके. क्रमांक 29 से 34 के मध्य संशोधन/विस्थापन/ कार्य, लंबाई 2×1.6 कि.मी., अनुमानित लागत- 125.52 लाख रु.

9. जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा परियोजना क्रमांक-41 के अंतर्गत कटनी बायपास तक एसआर-3 रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-माडोताला/पनागर लाईन के लोके. क्रमांक 29 से 33 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2×1.5 कि.मी., अनुमानित लागत- 44.00 लाख रु.

10. जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा परियोजना क्रमांक-41 के अंतर्गत कटनी बायपास तक एसआर-3 रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस जबलपुर-व्ही.एफ.जे. (जबलपुर) लाईन के लोके. क्र. 27 से 31 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 2×1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-74.00 लाख रु.

11. एनटीपीसी गाडरवारा हेतु एनटीपीसी से मनकवारा स्टेशन के मध्य प्रस्तावित रेल्वे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. एफ. सी. एफ. एस. नरसिंहपुर/चीचली-पिपरिया लाईन के एफसीएफएस भाग में लोके. क्र. 351 से 353 आर के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई $4\times 0.82+2\times 0.78$ कि.मी., अनुमानित लागत-502.73 लाख रु.

12. एनटीपीसी गाडरवारा हेतु एनटीपीसी से मनकवारा स्टेशन के मध्य प्रस्तावित रेल्वे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप एनटीपीसी लिमिटेड की 132 के.व्ही. डीसीएसएस गाडरवारा एसटीपीपी-वॉटर पम्प हाउस लाईन-1 के लोके. क्र. 77 से 80 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1×0.7 कि.मी., अनुमानित लागत-183.10 लाख रु.

13. पश्चिम रेल्वे रतलाम द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र निमारखेड़ी जिला-खण्डवा को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सनावद से 132 के.व्ही. 2 फेस 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण लंबाई लगभग 1×15.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1012.00 लाख रु.

14. 400 के.व्ही. उपकेन्द्र बदनावर से मेसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र बदनावर के ग्राम खेरवास में स्थित 2 एमपीटीए सीमेंट यूनिट को 12 एमव्हीए संबद्ध भार विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण लंबाई लगभग 1×6.0 कि.मी., अनुमानित लागत-484.71 लाख रु.

15. कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर द्वारा अशोकनगर में नवीन कृषि उपज मंडी के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस बीना-गुना लिलो अशोकनगर लाईन के लोके.क्रमांक 11 से 15 मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई 2×1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-147.00 लाख रु.

16. एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा रा.गा.-12 के भोपाल से जबलपुर खण्ड में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-मण्डीरीप/भोपाल (पूर्व 220 के.व्ही. इटारसी-भोपाल) लाईन के लोके. क्र.167 से 172 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई 2×1.34 कि.मी., अनुमानित लागत-63.47 लाख रु.

17. एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा रा.गा.-12 के भोपाल से जबलपुर खण्ड में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-मण्डीरीप/तामोट (पूर्व 132 के.व्ही. इटारसी-भोपाल) लाईन के लोके. क्र.187 से 191 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई लगभग 2×1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-112.58 लाख रु.

18. एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा रा.गा.-12 के भोपाल से जबलपुर खण्ड में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर डीसीडीएस ओबेदुल्लागंज कर्षण लाइन के लोके. क्रमांक. 2 से 6 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई 2×1.31 कि.मी., अनुमानित लागत-60.89 लाख रु.

19. एमपीआरडीसी भोपाल द्वारा रा.गा.-12 के भोपाल से जबलपुर खण्ड में 4-लेन रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर डीसीडीएस ओबेदुल्लागंज कर्षण लाइन के लोके. क्रमांक. 13 से 16 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई लगभग 2×1.0 कि.मी., अनुमानित लागत-38.52 लाख रु.

20. एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमि. द्वारा इंदौर शहर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर (साउथ जोन)- सत्य साँई/इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स लाइन के लोके. क्रमांक 25 सी से 35 (पूर्व में 132 के.व्ही. इंदौर साउथ जोन-चम्बल लाइन का भाग) के मध्य इंदौर शहर के सत्यसाँई उपकेंद्र, शीतलनगर, सेक्टर-सी, शहीद भगत सिंह पार्क, रामकृष्ण बाग, धीरज नगर, आशा नगर, वैभव लक्ष्मी नगर, हाजी कॉलोनी, खजराना इत्यादि क्षेत्रों के संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई 2×3.2 कि.मी., अनुमानित लागत-1144.00 लाख रु.

21. एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमि. द्वारा इंदौर शहर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. इंदौर (साउथ जोन)- इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परिपथ एवं 132 के.व्ही. सत्य साँई-चम्बल परिपथ के संयुक्त टॉवर लोके. क्रमांक 14 से 25 (पूर्व में 132 के.व्ही. इंदौर साउथ जोन-चम्बल लाइन का भाग) के मध्य इंदौर शहर के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, वीणा नगर, सुखलिया, बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, स्कीम नं.-54, सयाजी चौराहा, विजय नगर चौराहा, सत्यसाँई उपकेंद्र, शीतलनगर, सेक्टर-सी, इत्यादि में संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई लगभग 2×4.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1424.00 लाख रु.

22. एमपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमि. द्वारा इंदौर शहर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के फलस्वरूप 220 के.व्ही. डीसीडीएस इंदौर (नार्थ जोन)-जैतपुरा/मांगलिया लाइन एवं 132 के.व्ही. इंदौर (नार्थ जोन)- जैतपुरा लाइन को संयुक्त रूप से मल्टी सर्किट टॉवर/मोनोपोल के माध्यम से लोके. क्रमांक 148 से 152 के मध्य इंदौर शहर के सांवरे रोड औद्योगिक क्षेत्र, एमआर-10 क्षेत्रों में संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई 4×1.2 कि.मी., अनुमानित लागत-1628.00 लाख रु.

23. 132 के.व्ही. उपकेन्द्र रतलाम से मेसर्स इफ्का लेबोरिट्रीज लिमिटेड रतलाम को 12 एमव्हीए संबद्ध भार की विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के.व्ही. से 132 के.व्ही. में सप्लाई परिवर्तन हेतु 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण जिसमें 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट रतलाम इंटरकनेक्टर लाइन के कुछ भाग को विधायित कर डबल सर्किट लाइन में परिवर्तित करने का कार्य लंबाई लगभग 2×5.0 कि.मी., अनुमानित लागत-632.00 लाख रु.

24. मेसर्स इफ्का लेबोरिट्रीज लिमिटेड रतलाम के प्लांट में स्थित 132 के.व्ही. सिंगल सर्किट रतलाम-जावरा सर्किट-2 लाइन को प्लांट के परिसर से बाहर करने हेतु उक्त लाइन के लो.क्र. 24 से 38 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लंबाई लगभग 1×4.0 कि.मी., अनुमानित लागत-150.00 लाख रु.

25. पश्चिम रेलवे रतलाम द्वारा प्रस्तावित कर्षण विद्युत उपकेन्द्र देवास, जिला-देवास को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र देवास से 132 के.व्ही. 2 फेस 4 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण, लंबाई लगभग 1×0.2 कि.मी., अनुमानित लागत-71.00 लाख रु.

(VI) कुल अनुमानित लागत :-

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 182.46 करोड़ है।

(3) टॉवर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञातिधारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टॉवर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टेंयंट्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद् द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एफ. डी. ठाकुर,

मुख्य अधिकारी (मा. संसा. एवं प्रशा.),

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,

शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

नाम परिवर्तन

मैं, सियाराम बरपेटे (Siyaram Barpete) पिता पतिराम बरपेटे (Patiram Barpete), निवासी 225, डी-2, डी-सेक्टर, पिपलानी, भेल, भोपाल (म.प्र.) का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सियाराम (Siyaram) पिता पतिराम (Patiram) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम सियाराम बरपेटे (Siyaram Barpete) पिता का नाम पतिराम बरपेटे (Patiram Barpete) दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम सियाराम (Siyaram) पिता पतिराम (Patiram) दर्ज है उसके स्थान पर सियाराम बरपेटे (Siyaram Barpete) पिता पतिराम बरपेटे (Patiram Barpete) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :
 (सियाराम)
(SIYARAM)

(989-बी.)

नया नाम :
 (सियाराम बरपेटे)
(SIYARAM BARPETE)

नाम परिवर्तन

मैं, राम राव उईके (Ram Rao Uikey) पिता अजनू उईके (Ajanu Uikey), निवासी 367, एन-2, ई-सेक्टर, बरखेड़ा, भेल, भोपाल (म.प्र.) का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राम राव (Ram Rao) पिता अजनू (Ajanu) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम राम राव उईके (Ram Rao Uikey) पिता का नाम अजनू उईके (Ajanu Uikey) दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम राम राव (Ram Rao) पिता अजनू (Ajanu) दर्ज है उसके स्थान पर राम राव उईके (Ram Rao Uikey) पिता अजनू उईके (Ajanu Uikey) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :
 (राम राव)
(RAM RAO)

(990-बी.)

नया नाम :
 (राम राव उईके)
(RAM RAO UIKEY)

नाम परिवर्तन

मैं, बिसेसर ठाकुर (Bisesar Thakur) पिता रूपराम ठाकुर (Roopram Thakur), निवासी-सी-81, राजौरा स्टेट, खजूरी कलां, भोपाल (म.प्र.) का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम बिसेसर (Bisesar) पिता रूपराम (Roopram) दर्ज है, एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम बिसेसर ठाकुर (Bisesar Thakur) पिता का नाम रूपराम ठाकुर (Roopram Thakur) दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम बिसेसर (Bisesar) पिता रूपराम (Roopram) दर्ज है उसके स्थान पर बिसेसर ठाकुर (Bisesar Thakur) पिता रूपराम ठाकुर (Roopram Thakur) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :
 (बिसेसर)
(BISESAR)

(991-बी.)

नया नाम :
 (बिसेसर ठाकुर)
(BISESAR THAKUR)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अमित डे (Amit Dey) पुत्र श्री अनिमेश कुमार डे था तथा समस्त दस्तावेजों, शासकीय एवं अंकसूची में मेरा नाम अमित डे है। अब मैं अपना नाम बदलकर अमीत डे (Ammeet Dey) पुत्र श्री अनिमेश डे कर दिया है। अतः अब मुझे मेरे नये नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम :
 (अमित डे)
(AMIT DEY)

(992-बी.)

नया नाम :
 (अमीत डे)
(AMMEET DEY)

पता-क्वार्टर नं.-713, डी-2, डी-सेक्टर पिपलानी,
 बी. एच. ई. एल. भोपाल-462016 (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मैं महेश माहेश्वरी (Mahesh Maheswari) आत्मज पूरनलाल, आयु 45 वर्ष, पेशा-चिकित्सक,

निवासी शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) हाल मुकाम-एफ-48, द्वारकाधाम कैम्पस, करोंद बायपास, संजीव नगर के सामने, भोपाल (म.प्र.) अपना नाम महेश/महेश माहेश्वरी मिहोलिया (Mahesh Maheswari Meholiya) के स्थान पर भविष्य में मुझे केवल महेश माहेश्वरी (Mahesh Maheswari) अनुसार संबंधवहार किया जावे।

पुराना नाम :
 (महेश/महेश माहेश्वरी मिहोलिया)
(MAHESH)/(MAHESH MAHESWARI MEHOLIYA)
 (993-बी.)

नया नाम :
 (महेश माहेश्वरी)
(MAHESH MAHESWARI)

CHANGE IN SURNAME

Before marriage my name was Meghna Bais, after marriage with Shri Bhanu Pratap Singh Rathore, my name has been changed as Meghna Rathore. In future, I will be known by my above changed new name Meghna Rathore.

Old Name:
(MEGHNA BAIS)
 (994-B.)

New Name :
(MEGHNA RATHORE)
 F. H. 293, Scheme No. 54,
 Vijay Nagar, Indore (M.P.).

CHANGE OF NAME

I, Neha Bansal (30) D/o Mr. Pawan Kumar, R/o Durga Colony, Morar Gwalior. I Married on dated 29-04-2017 with Mr. Vaibhav Agrawal, after my marriage my name is changed to Mrs. Neha Agrawal W/o Mr. Vaibhav Agrawal. Now in Future I will be called as Mrs. Neha Agrawal W/o Mr. Vaibhav Agrawal.

Old Name:
(NEHA BANSAL)
 (1009-B.)

New Name :
(NEHA AGRAWAL)
 W/o Mr. Vaibhav Agrawal.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नागेन्द्र सेंगर पुत्र श्री पानसिंह सेंगर, निवासी टोंटा की बजरिया कम्पू, लशकर, ग्वालियर यह है कि मैंने अपनी पुत्री का जन्म प्रमाण रजि. क्र. 13/01, दिनांक 03-01-2010 जावक क्र. 95 में उसका नाम गुड़िया लिखवा दिया है। लेकिन मेरी पुत्री का सही नाम पल्लवी सेंगर है। इस कारण में जन्म प्रमाण-पत्र में अपनी पुत्री का सही नाम पल्लवी सेंगर कराना चाहता हूँ। अब उसे पल्लवी सेंगर के नाम से जाना तथा पुकारा जावे। सर्व-साधारण सूचित हो।

(1010-बी.)

नागेन्द्र सेंगर,
 पुत्र श्री पानसिंह सेंगर,
 निवासी-टोंटा की बजरिया कम्पू, लशकर, ग्वालियर।

उप-नाम परिवर्तन

मेरे पक्षकार रामरतन विजयवर्गीय पिता आत्माराम विजयवर्गीय, निवासी-61, लक्कड़पीठा, रत्लाम द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने अपना नाम परिवर्तित कर उपनाम बदलकर रामरतन पाटोदिया रख लिया है। मेरे पक्षकार को रामरतन पाटोदिया के नाम से ही पहचाना जावे व भविष्य में इसी नाम का उपयोग एवं उपभोग करेंगे। सूचित हो।

(995-बी.)

कैलाश शर्मा,
 हाईकोर्ट एडवोकेट,
 जिला नोटरी, रत्लाम।

नाम परिवर्तन

मेरे पक्षकार मधु पाटोदिया पति रामरतन पाटोदिया, निवासी 61, लक्कड़ीगढ़, रतलाम द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने अपना नाम परिवर्तन कर मधुबाला पाटोदिया रख लिया है। मेरे पक्षकार को मधुबाला पाटोदिया के नाम से ही पहचाना जावे। व भविष्य में इसी नाम का उपयोग एवं उपभोग करेंगी, सूचित हो।

(996-बी.)

कैलाश शर्मा,
हाईकोर्ट एडवोकेट,
जिला नोटरी, रतलाम।

उप-नाम परिवर्तन

मैं, गया प्रसाद साकेत पिता श्री बिहारीलाल साकेत ग्राम पोस्ट चोरहटा, तहसील रामपुर-बाघेलान, थाना अमरपाटन, जिला सतना मध्यप्रदेश का मूल निवासी हूँ। मुझसे संबंधित समस्त शैक्षणिक दस्तावेज अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में भूलवश मेरा उपनाम साकेत की जगह चर्मकार (चौधरी) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा सही उपनाम साकेत है जो आज दिनांक के बाद मेरा उपनाम चर्मकार (चौधरी) के स्थान पर गया प्रसाद साकेत माना, लिखा, पढ़ा व समझा जाय।

पुराना नाम :

(गया प्रसाद चर्मकार) (चौधरी)
पिता-बिहारीलाल चर्मकार (चौधरी).

(997-बी.)

नया नाम :

(गया प्रसाद साकेत)
पिता-बिहारीलाल साकेत,

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम प्रशांत सिंह केवट (PRASHANT SINGH KEWAT) अंकित है, कुछ समय उपरांत मैंने अपना नाम परिवर्तित कर प्रशांत सिंह (PRASHANT SINGH) रख लिया है जो कि मेरे आधारकार्ड, बैंक पासबुक आदि में भी अंकित है। यह कि अब भविष्य में मुझे प्रशांत सिंह (PRASHANT SINGH) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(प्रशांत सिंह केवट)
(PRASHANT SINGH KEWAT)

(998-बी.)

नया नाम :

(प्रशांत सिंह)
(PRASHANT SINGH)

पुत्र श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,
निवासी-डी. एम. 137, दीनदयाल नगर,

ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, अजीत सिंह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम जीता सिंह था और वर्तमान में मुझे अजीत सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और अजीत सिंह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम जीता सिंह लिखा गया है जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा जीता सिंह के स्थान पर अजीत सिंह लिखा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(जीता सिंह)

(999-बी.)

नया नाम :

(अजीत सिंह)

पता-ग्राम पिपरौ, पोस्ट समाया, थाना चीनौर,
तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम अजय हरभजनका था। समस्त दस्तावेजों में मेरा उक्त नाम ही अंकित था। अब मेरा नाम परिवर्तित कर नया नाम अजय कुमार अग्रवाल हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम अजय कुमार अग्रवाल से ही पहचाना जाएगा।

पुराना नाम :

(अजय हरभजनका)

(1011-बी.)

नया नाम :

(अजय कुमार अग्रवाल)

पिता-श्री तानमल जी अग्रवाल,
डी-23, पार्श्वनाथ सिटी, देवास रोड,
उज्जैन (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रेखा शर्मा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा बचपन का नाम रेखा कटारे था और वर्तमान में मुझे श्रीमती रेखा शर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और रेखा शर्मा के नाम से ही हस्ताक्षर करती हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम रेखा कटारे लिखा गया है. जो कि गलत है अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा रेखा कटारे के स्थान पर श्रीमती रेखा शर्मा लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(रेखा कटारे)

(1000-बी.)

नया नाम :

(रेखा शर्मा)

पता-बजरंग बिहार कॉलोनी, थाटीपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, भमर सिंह कुशवाह सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम बल्लू कुशवाह था और वर्तमान में मुझे भमर सिंह कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और भमर सिंह कुशवाह के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम बल्लू कुशवाह लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम बल्लू कुशवाह के स्थान पर भमर सिंह कुशवाह लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(बल्लू कुशवाह)

(1001-बी.)

नया नाम :

(भमरसिंह कुशवाह)

पता-51, छीमक, तहसील डबरा,
जिला ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, लाभांश मित्तल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का बोलता नाम श्रेयांश मित्तल था और वर्तमान में मुझे लाभांश मित्तल के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और लाभांश मित्तल के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम श्रेयांश मित्तल लिखा गया है, जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम श्रेयांश मित्तल के स्थान पर लाभांश मित्तल लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(श्रेयांश मित्तल)

(1006-बी.)

नया नाम :

(लाभांश मित्तल)

पता-बाला बाई का बाजार,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार (Harendra Kumar S/o Veerendra Kumar), निवासी मकान नम्बर 239, नितिन नगर, कुबेर आश्रम के पास, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) (House No. 239, Nitin Nagar, Near Kuber Ashram, Thatipur Gwalior M.P.) का निवासी हूँ मेरा नाम हरेन्द्र कुमार दोहरे पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार दोहरे (Harendra Kumar Dohare S/o Veerendra Kumar Dohare) जन्म दिनांक 30-06-1991 है, मेरे शिक्षा संबंधी, सभी दस्तावेजों में एवं पेनकार्ड, आधारकार्ड, बोटर कार्ड, बैंक खाता, पासपोर्ट में सरनेम दोहरे अंकित है तथा अब मैं अपने सरनेम दोहरे (Dohare) के स्थान पर सिंह (Singh) सभी दस्तावेजों में अंकित किया जाये तथा मेरा नाम हरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार पढ़ा जावे तथा लिखा जावे।

पुराना नाम :
(हरेन्द्र कुमार दोहरे)
पुत्र-श्री वीरेन्द्र कुमार दोहरे.

(1007 -बी.)

नया नाम :
(हरेन्द्र कुमार सिंह)
पुत्र-श्री वीरेन्द्र कुमार.

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 में सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में “मेसर्स गोपालदास वल्लभदास श्रॉफ” 17, पांडुमल चौराहा, बुरहानपुर मध्यप्रदेश के नाम से सोने, चांदी की ज्वेलरी का क्रय-विक्रय का व्यवसाय भागीदारी फर्म में निम्न भागीदारों द्वारा किया जाता था।—

1. श्री दामोदरदास श्रॉफ पिता गोपालदास श्रॉफ.

2. श्री विठ्ठलदास श्रॉफ पिता गोपालदास श्रॉफ.
3. श्री राकेश श्रॉफ पिता दामोदरदास श्रॉफ.
4. श्री हीतेश श्रॉफ पिता दामोदरदास श्रॉफ.
5. श्री भावेश श्रॉफ पिता विठ्ठलदास श्रॉफ.
6. श्री पीयुष श्रॉफ पिता विठ्ठलदास श्रॉफ.

यह कि दिनांक 30-09-2013 से उपरोक्त भागीदारी फर्म में से निम्न भागीदार निवृत्त हुए हैं।

1. श्री दामोदरदास श्रॉफ पिता गोपालदास श्रॉफ.
2. श्री राकेश श्रॉफ पिता दामोदरदास श्रॉफ.
3. श्री हीतेश श्रॉफ पिता दामोदरदास श्रॉफ.

तथा निम्न भागीदार उक्त फर्म में सम्मिलित होकर यह व्यवसाय “मेसर्स गोपालदास वल्लभदास श्रॉफ” के नाम से भागीदारी अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 01-10-2013 से कर रहे हैं।

1. श्री विठ्ठलदास श्रॉफ पिता गोपालदास श्रॉफ.
2. श्री भावेश श्रॉफ पिता विठ्ठलदास श्रॉफ.
3. श्री पीयुष श्रॉफ पिता विठ्ठलदास श्रॉफ.
4. श्री हिमांशु श्रॉफ पिता विठ्ठलदास श्रॉफ.

निवृतमान भागीदारों का अब इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहा है। नये व्यवसाय का पता: मे. गोपलदास वल्लभदास सराफ, दुकान नं. 3 व 4 भगत प्लाजा, पांडुमल चौराहा, राजपुरा रोड, बुरहानपुर (म.प्र.).

For: M/s Gopaldas Vallabdas Shroff,
VITTHALDAS SHROFF,

(Partner).

(1004-बी.)

NOTICE

(U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firm "NIKUNJ GROUP OF ASSOCIATES" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/00305/2013, Date of Registration 30/10/2013 undergone the following changes:-

1. That the all parties here to have decided to dissolve the said partnership firm w.e.f. 20-09-2018.

Nikunj Group Of Associates,
HARSHIT GURU,
(Partner).

T-7, Gurukripa Tower, Kolar Road,
Bhopal.

(1002-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नागेस्वर फूड्स जिसका पंजीयन क्रमांक 07/47/01/0043/15, दिनांक 20-08-2015 है जो 417/2/7, ग्राम-पाल बारोड, रोड, आगर मध्यप्रदेश में स्थित है। जिसमें दिनांक 15-02-2019 को भागीदार श्री शंकरलाल पुत्र श्री मदनलाल जैन, निवासी ओल्ड बस स्टेण्ड, आगर-मालवा मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक 15-02-2019 को श्री शशांक भरगट पुत्र श्री जयन्तीलाल भरगट, निवासी 64, ईदगाह रोड, रतलाम (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-मेसर्स नागेस्वर फूड्स,
गौतम कुमार जैन,
(भागीदार)

(1003-बी.)

417/2/7, ग्राम-पाल बारोड, रोड, आगर (म.प्र.).

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अन्तर्गत)

क्र./1787/05/12/1978.—सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-आशापुरा प्युल सेन्टर दलौदा में दिनांक 30-09-2018 से श्री सुबोध कुमार भंडारी पिता स्वर्गीय श्री मुलचंद जी भंडारी, भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं भागीदारी फर्म भंग कर दी गई व दिनांक 01-10-2018 से फर्म एकल स्वामित्व के रूप में प्रोप्रायटर अनिल कुमार भण्डारी द्वारा फर्म यथा नाम से संचालित की जाती रहेगी.

मेसर्स आशापुरा प्युल सेन्टर,
अनिल कुमार भण्डारी,
(प्रोप्रायटर).

(1005-बी.)

PUBLIC NOTICE

(U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given for public information that Shri Bhawani Prasad Garg S/o Late Shri Kishorilal Garg, who has been partner in firm M/s SOMNATH INDUSTRIES, 59/E, SANWER ROAD, INDORE (M.P.), (M.P.) vide Reg. No. 03/27/03/00060/08, Dated : 14-07-2008 year: 2008-09 has expired on 14-08-2018 & therefore, he ceased to be partner in the firm and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For—M/s Somnath Industries,
SAMBHUDAYAL GARG,
(Partner).

(1008-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर

रा.प्र.क्र. /बी/113 वर्ष 2018-19.

मौजा-करीला ह. नं. 66

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सम्मति जैन पिता राजकुमार जैन, निवासी परकोटा वार्ड सागर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर “श्री 1008 पंचबालयति दिग्म्बर जैन मंदिर, विद्यासागर नगर, महिला आई. टी. आई. के सामने खुरई रोड सागर” के नाम से पंजीयन हेतु निवेदन किया है:-

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008 पंचबालयति दिग्म्बर जैन मंदिर, विद्यासागर नगर, महिला आई. टी. आई. के सामने खुरई रोड सागर.
पता	:	विद्यासागर नगर, महिला आई. टी. आई. के सामने खुरई रोड सागर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार.
अचल सम्पत्ति	:	मौजा करीला में स्थित खसरा नम्बर 54/32 नगर निगम में स्थित एवं अन्य अचल सम्पत्ति सूची अनुसार.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था, देव प्रतिमाओं की देखभाल, जैन धर्म के प्रति रुचि व आस्था बनाना, धार्मिक प्रभावना हेतु पाठशाला.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 26 मार्च, 2019 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 14 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुक्रा से जारी.

पेशी दिनांक 26 मार्च, 2019

जारी दिनांक 14 फरवरी, 2019

(175)

ए.ल. के. खरे,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक लोक न्यास, उपखण्ड-जावद, जिला नीमच
प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2018-19. जावद, दिनांक 12 फरवरी, 2019

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

आवेदक मुख्य न्यासी श्री घनश्यामदास पिता रतनदास बैष्णव, निवासी अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश श्री रामधाम परमार्थिक ट्रस्ट अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 28 मार्च, 2019 पर मेरे न्यायालय में विचार लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री रामधाम बालाजी परमार्थिक ट्रस्ट अरनिया, तहसील सिंगोली, जिला नीमच मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	:	चल संपत्ति-वाहन बोलेरो महिन्द्रा-आर जे. 06 यू ऐ-4443 कीमत 300000/- रुपये मॉडल 2010 व 10101/- रुपये नगद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

के. के. मालवीय,

(176)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल
प्र.क्र. 0003/बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परवार महासभा न्यास” पता-02, जैन नगर, लालघाटी, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल मध्यप्रदेश की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हों या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	“भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परवार महासभा न्यास ” पता-02, जैन नगर, लालघाटी, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

के. के. रावत,
रजिस्ट्रार.

(177)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-पुनासा, जिला खण्डवा
प्र.क्र. /बी-113(1)/2018-19.** दिनांकफरवरी, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[म.प्र.सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्रीराम कलमे पिता चंपालाल, निवासी ग्राम सतलापुर द्वारा “अखड दयाधाम ग्राम गेहलगांव, न्यास ग्राम गेहलगांव”, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के तहत् आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 22 फरवरी, 2019 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता	:	“अखड दयाधाम ग्राम गेहलगांव, न्यास ग्राम गेहलगांव”।
पता	:	“अखड दयाधाम ग्राम गेहलगांव, न्यास ग्राम गेहलगांव” तहसील पुनासा, जिला खण्डवा।

अनुसूची “अ”

चल संपत्ति	:	1. निरंक
		अनुसूची “ब”
अचल संपत्ति	:	1. ग्राम गेहलगांव सिंगाजी ठेका रा. नि. मण्डल मूँदी स्थित ख. नं. 126/3 रकबा 0.20 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में एक हाल, 4 कमरे लेट्रीन बाथरूम निर्मित है। इसी भूमि पर राधाकृष्ण का मंदिर एवं शंकर भगवान का मंदिर निर्मित है।

ममता खेडे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(182)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 17-18/बी-113(1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

भुद्याल शर्मा पुत्र श्री आत्माराम शर्मा, निवासी घासमण्डी, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक को विचार के लिये दिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी जिला ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक..... को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अधिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : “बाबा श्री घटवरिया देवस्थान न्यास सिरौल”
मोहन भवन घासमण्डी, मुरार, परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.).

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:

2. चल सम्पत्ति : 11000/- रुपये.
अचल सम्पत्ति : ..

(164)


दिनेश चंद शुक्ला,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएँ

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर वनमण्डल सागर

वनपरिषेक्त्र अधिकारी शाहगढ़ के पत्र क्रमांक 19, दिनांक 14 जनवरी, 2019 के प्रतिवेदन अनुसार पार्श्व अंकित आकृति का निम्नांकित हेमर (हथौड़ा) जो कूप नंबर VI लेण्डिया RDF चिन्हांकन/पातन कार्य हेतु उप वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर द्वारा चालान क्रमांक 50, दिनांक 08 मार्च, 2013 से प्रदाय किया गया था. कूप प्रभारी श्री बारेलाल आट्या (उपवनक्षेत्रपाल) तत्कालीन परिषेक्त्र सहायक शाहगढ़ द्वारा उक्त हेमर वन परिषेक्त्र कार्यालय में जमा किये जाने का स्पष्टीकरण के प्रत्योत्तर में उल्लेख किया गया है, किन्तु जमा करने संबंधी अभिलेख उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये. वन परिषेक्त्र शाहगढ़ कार्यालय एवं श्री आट्या द्वारा उक्त हेमर खोजने का हर संभव प्रयास किया गया, किन्तु हेमर प्राप्त नहीं हो सका है, लगभग 06 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने एवं खोज-बीन के बाद भी हेमर प्राप्त न होने के फलस्वरूप संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हेमर का अपलेखन किया जाना आवश्यक होगा.

हेमर की आकृति :-



अतः आदेश दिया जाता है कि:-

सागर, दिनांक 18 फरवरी, 2019

आदेश/क्रमांक/मा.चि/स्था./19/56-वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त पातन हेमर शासकीय भण्डार एवं अभिलेखों में उपलेखित किया जावे. हेमर का मूल्य 350/- (अंकन तीन सौ पचास रुपये मात्र) की कूप प्रभारी श्री बारेलाल आट्या (उपवनक्षेत्रपाल) वन परिषेक्त्र कार्यालय मालथौन से एक मुश्त वसूल कर शासकीय कोष में जमा किया जावे. उपवनक्षेत्रपाल द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आकृति का हेमर यदि किसी के पास हो तो समीप के पुलिस स्टेशन या वन परिषेक्त्र कार्यालय में जमा करावें. कोई अन्य व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से हेमर अपने पास रखता है अथवा उपयोग करता है तो भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के तहत् दण्ड का भागी माना जावेगा.

(181)

प्रशांत कुमार सिंह,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम बैतूल (सा.) वनमण्डल द्वारा पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वनपरिषेक्त्र सांवलीगढ़ (सा.) के पत्र क्रमांक 2500, दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री प्रेम कुमार सिरसाम वनरक्षक बीट प्रभारी चूनागोसाई द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा के अनुसार दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को चूनागोसाई बीट के कक्ष क्र. RF 1415 में वन सुरक्षा कार्य के दौरान बीट हेमर कहीं पर गिर गया. तलाश करने पर भी न मिलने पर नजदीकी पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई.

उपरोक्त के तारतम्य में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./322, दिनांक 15 जनवरी, 2019 द्वारा श्री प्रेम कुमार सिरसाम वनरक्षक बीट प्रभारी चूनागोसाई को परिषेक्त्राधिकारी सांवलीगढ़ (सा.) के माध्यम से कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया. जिसमें वनरक्षक द्वारा 28 जनवरी, 2019 से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि बीट प्रभारी श्री सिरसाम वनरक्षक द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही एवं असावधानी बरतने के कारण शासकीय हेमर गुम हुआ है.

निष्कर्ष :- प्रकरण का समग्रूपेण अध्ययन करने पर पाया गया कि हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रख-रखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है। अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-

आदेश


क्रमांक/मा.चि./31

बैतूल, दिनांक 15-02-2019

वन वित्तीय नियम की धारा 124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये अनुरेखिक गुमशुदा हेमर को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है। श्री प्रेमकुमार सिरसाम वनरक्षक बीट प्रभारी चूनागोसाई से उक्त हेमर का मूल्य 510/- की एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुये वन वित्तीय नियम की धारा 124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है।

श्री प्रेमकुमार सिरसाम वनरक्षक को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने हेतु भविष्य के लिये सचेत किया जाता है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त चिन्हित हेमर मिलता है तो उसे निकटतम थाने या वन विभाग के किसी भी कार्यालय में जमा कर दें।

इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति द्वारा उक्त आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।



पर्सनल हेमर का निशान

(163)

अनुराग कुमार,
वनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, इन्दौर संभाग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13 सितम्बर, 2018

क्र. 217/बस स्टैण्ड/खण्डवा/2018.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये मैं, संजय सोनी, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार इन्दौर संभाग, इन्दौर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 117 में विहित प्रावधान के पालन में गणेश गौशाला, शहर खण्डवा के पास, नगर पालिका निगम खण्डवा के स्वामित्व की खसरा क्रमांक 543, 544/1 एवं 548/1 कुल क्षेत्रफल 3.17 हैक्टेयर रिक्त भूमि को जिला योजना समिति खण्डवा द्वारा पारित प्रस्ताव एवं नगर पालिका निगम एवं जिला दण्डाधिकारी खण्डवा से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में सार्वजनिक उपयोग हेतु बस स्टैण्ड घोषित करता हूँ।

बस स्टैण्ड पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व नगर पालिका निगम खण्डवा का होगा।

(172)

संजय सोनी,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।

कार्यालय परिसमापक, सकवाल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 01 फरवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

सकवाल बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 99, दिनांक 18 मार्च, 1953 है। को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 1467, दिनांक 31 अगस्त, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 01 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(169)

कार्यालय परिसमापक, यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 18 अगस्त, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अन्तर्गत]

यशोधर्मन साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 429, दिनांक 16 जुलाई, 1987 है। को उप रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 822 (a), दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंतवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

विपिन बडगोती,

परिसमापक।

(170)

कार्यालय शासकीय समानुदेशिती सहकारिता विभाग, जिला इन्दौर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत संयुक्त आयुक्त, सहकारिता इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेशित क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधिनियम, की धारा-18 (1) (2) (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षकर्ता को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया जाता है, जिसका विवरण निमानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	हरिजन कल्याण यातायात सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	545/06-08-1991	451/16-02-2018

अतः मैं, अजय कुमार पाठक, सहकारी निरीक्षक, एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था के संदर्भित जनों को सूचित करता हूँ कि, संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रम शिविर जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रखीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था उक्त धारा-18(क) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त आदेश के अनुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त, इन्दौर सम्भाग, इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा। अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 नवम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(178)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(क) के अन्तर्गत संयुक्त आयुक्त, सहकारिता इन्दौर संभाग इन्दौर

द्वारा निम्न सहकारी संस्था को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेशित क्रमांक व दिनांक से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाकर अधिनियम, की धारा-18 (1) (2) (3) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षकर्ता को शासकीय समानुदेशिती नियुक्त किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	मानस सेवा साख सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर	2376/05-06-2018	क्र. गृह-विधि/18/ 187/19-01-2018

अतः मैं, अजय कुमार पाठक, सहकारी निरीक्षक, एवं शासकीय समानुदेशिती मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के नियम-1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत सर्व-साधारण एवं उपरोक्त दर्शित संस्था से संदर्भित जनों को सूचित करता हूँ कि, संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर, पता-123, देवी अहिल्या मार्ग, श्रम शिविर जेल रोड, इन्दौर में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत् प्रदान किये समझे जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियां अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें। बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड/सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो वह वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा तथा नियमानुसार संस्था उक्त धारा-18(क) के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त आदेश के अनुसार देनदारी-लेनदारी का निराकरण कर प्रतिवेदन संयुक्त आयुक्त, इन्दौर सम्बांग इन्दौर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा। अतः दर्शित सूचना-पत्र में दी गई अवधि के पश्चात् कोई भी दावा/देनदारी/लेनदारी मान्य नहीं की जावेगी।

यह सूचना आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई।

(179)

अजय कुमार पाठक,
सहकारी निरीक्षक एवं शासकीय समानुदेशिती।

कार्यालय परिसमापक मालव विपणन सहकारी संस्था मर्या., महू, जिला इन्दौर

दिनांक 15 फरवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/क्यू-1.—मालव विपणन सहकारी संस्था मर्या., महू, तहसील महू (अम्बेडकर नगर), जिला इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर./आई.डी.आर./13, दिनांक 23 दिसम्बर, 1959 है। उक्त संस्था को उप आयुक्त एवं उप-रजिस्ट्रार सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/213, दिनांक 15 फरवरी, 2019 से धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 02 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो, तो मेरे द्वारा अधिकृत श्री पी. के. जैन, सहकारी निरीक्षक, मोबाइल नम्बर 99935-67160 कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला इन्दौर (श्रम शिविर जेल रोड, इन्दौर) के समक्ष लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में दावेदार अथवा साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 15 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(180)

जी. एस. परिहार,
अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2019-फाल्गुन 17 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश शुष्क रहा। राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया।—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील हनुमना (रीवा), नीमच (नीमच), बागली (देवास), लटेरी (विदिशा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, भोपाल, नरसिंहपुर में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला मुरैना, शहडोल, अनूपपुर, नरसिंहपुर में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति :- ..

5. फसल कटाई :- जिला उमरिया, सीधी, मन्दसौर, उज्जैन, आगर, इन्दौर, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी में कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाई :- जिला छतरपुर, सागर, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, मन्दसौर, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति:- राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है. (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त-फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रैन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	मिलीमीटर	2. जुताई चालू	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरबार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, अधिक. मूँग व मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक उडद कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करेरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराड़	..				
9. बद्रखास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उडद, सोयाबीन अधिक मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) उडद, मूँग, सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मक्कूदूनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ... 4. (1) ज्वार अधिक धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देकगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
5. बिजावर	..				
6. बड़ा मलहरा	..				
7. लवकुशनगर	..				
8. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना : 1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर 6. देवनदनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर : 1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 10. शाहगढ़	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तिल, धान, उड्द, सोयाबीन, अधिक. मूँग, ज्वार, मक्का, तुअर, कोदों-कुटकी, मूँगफली, आलू-प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह : 1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. धान, मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना : 1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मूँग, तुअर, मक्का, तिल, ज्वार अधिक. धान, उड्द, सोयाबीन, कोदों-कुटकी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा : 1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नझांदी 11. रायपुरक चुलियान	मिलीमीटर 8.2	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मूँग, उड्द, सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः 1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर	मिलीमीटर ..	2. जुताई एवं बोनी चालू	3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड्ड, तिल, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर : 1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	मिलीमीटर ..	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, उड्ड, तिल, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक. सोयाबीन समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया : 1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चांदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर	मिलीमीटर ..	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावत 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर ..	2. जुताई चालू कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1)धान, तुअर, तिल, उड्ड, मूँ, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
20. *जिला सिंहरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगरौली	मिलीमीटर ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
21. जिला मंदसौर : 1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर+दलोदा 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़क्का 10. संजीत 11. कथामपुर	मिलीमीटर ..	2. सोयाबीन की कटाई चालू है	3. .. 4. (1) मक्का कम. सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मूँफली अधिक. मक्का, तुअर, तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	5.0				
3. सिंगोली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 फसल कटाई चालू है.	3. .. 4.(1) सोयाबीन, उड़द अधिक. मक्का, तुअर कम.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई चालू है.	3. .. 4.(1) सोयाबीन अधिक. (2) सोयाबीन समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड़द अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ोदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँफली, अधिक. ज्वार, सोयाबीन, कपास, तिल, मूँफली कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछ	..				
2. टोंकरुद्	..				
3. देवास	..				
4. बागली	5.0				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. रामा 5. झाबुआ 6. राणापुर				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीबाड़ा 4. सौंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगंव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना, सोयाबीन अधिक (2) सभी फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36.*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द समान. (2) धान अधिक. सोयाबीन, उड़द समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	5.0				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. ज्वार, मक्का, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, मूँग, तुअर कम. (2)उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. *जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41.*जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बैतूल	..				
2. भैसदेही	..				
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिंचोली	..				
6. मुल्ताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42.जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. 4. (1) मूँग, सोयाबीन, गन्ना, मूँगफली, धान, मक्का अधिक. तुअर, उड़द कम. (2) उड़द बिंगड़ी हुई. शेष फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. *जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई चालू है.	3. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द अधिक. तुअर, सोयाबीन, मूँग कम. (2) मक्का समान. शेष फसलें अधिक हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) मक्का, तिल, तुअर समान. धान कम. (2) तिल, तुअर सुधरी हुई. धान, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				
2. ढीमरखेड़ी	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुट्टकी, तुअर, उड्ढ द समान. (2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान अधिक. मूँगफली समान. सौयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखोड 11. हरई 12. चांद 13. पांदुर्णा				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कैवलारी 5. लखनादान 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान समान. (2) धान समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी				

*जिला:- जिला सिंगरौली, झाबुआ, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, हरदा, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.